परिपत्र सं0

पत्र संख्या- एडी0कमि0(विधि)कैम्प/2012-13/ **286** / 1213013 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(एडीशनल कमिश्नर (विधि)कैम्प)

लखनऊ:: दिनांक:: **22** मई, 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)/ वि0अनु0शा0,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर कर एवं करेत्तर संबंधी बैठकों में वाणिज्य कर विभाग से प्रतिनिधित्व के बिन्दु पर अनेक स्थानों पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कतिपय मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा समय-समय पर यह तथ्य संज्ञान में लाया जाता है कि वाणिज्य कर विभाग से संबंधित समीक्षा बैठकों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। यह भी ज्ञात हुआ है कि मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी द्वारा आहूत बैठकों में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2/ ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारियों की उन जनपदों में तैनाती के बाबजूद भी डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के स्तर के अधिकारी बैठकों में भाग लेने जाते हैं।

2- उपर्युक्त स्थिति में राजस्व संग्रह वृध्दि हेतु एवं करापवंचन की रोकथाम के संबंध में प्रशासन से समुचित समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण बैठकों में वाणिज्य कर विभाग के स्थानीय वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा ही प्रतिनिधित्व करना विभाग के हित में होगा। इस विषय में कार्य हित में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) मण्डल मुख्यालय पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित कर एवं करेत्तर विषयक बैठक में जोनल एडीशनल कमिश्नर उपस्थित होगें। अपरिहार्य परिस्थितियों में जोनल एडीशनल कमिश्नर की अनुपस्थिति में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा बैठक में भाग लिया जायेगा।

(2) ऐसा जनपद जो मण्डल मुख्यालय पर स्थित हो, वहॉ के जिलाधिकारी द्वारा आहूत कर एवं करेत्तर विषयक बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)/ ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) उपस्थित होगें।

(3) ऐसा जनपद मुख्यालय जहॉ एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2/ ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी तैनात नहीं है, उन जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा कर एवं करेत्तर संबंधी आहूत बैठक में संबंधित जनपद के वाणिज्य कर विभाग के कार्यालयाध्यक्ष/ वरिष्ठतम अधिकारी उपस्थित होगें।

(4) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि जोन के भौगोलिक सीमा में पड़ने वाले जनपदों के जिलाधिकारियों से उचित समन्वय स्थापित करते हुए राजस्व संग्रह वृध्दि हेतु एवं करापवंचन की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन का यथोचित सहयोग प्राप्त करेगें। यह भी अपेक्षित है

कि जोनल एडीशनल कमिश्नर विभिन्न जनपदों में जब निरीक्षण हेतु जायेगें तो सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से शिष्टाचार भेंट करेगें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0 एवं दिनांक : उक्त

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।

(एच0एन0राव)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ